प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य के पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों सहित संबंधित विभागों के लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण आपत्तियों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

प्रतिवेदन में वर्ष 2022-23 की अवधि का लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए प्रकरणों के साथ-साथ वैसे प्रकरण, जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आये, परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके, प्रतिवेदन में आवश्यकतानुसार शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपन्न किया गया है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाए जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत तथ्य मान्य होंगे।